नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या : **102/2023**

सहकारी भूमि विकास बैंक बनाम तोलिया

दिनांक	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	आदेश की पालना का संक्षिप्त नोट
	राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.03.2026 **बैंच संख्या– III** **अध्यक्ष – श्री विकास मारग** **सदस्य – सुश्री कला आर्य** **–: आदेश :–** **दिनांक 14.03.2026** पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच संख्या III में पेश हुई। पक्षकारान के मध्य पूर्व समझाईश के कारण परिवादी भूमि विकास बैंक के जरिये सचीव श्री सुनिल कुमार व्यास ने दिनांक 15.01.2026 को कार्यवाही ड्रॉप करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया तथा जाहिर किया कि प्रकरण में परिवादी भूमि विकास बैंक के जरिये सचीव श्री सुनिल कुमार व्यास व अभियुक्त तोलिया के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। इसलिए उक्त प्रकरण आगे नही चलाना चाहता। अतः परिवादी द्वारा लोक अदालत की भावना से राजीनामा होने के कारण अभियुक्त को धारा 138 एन आई एक्ट के अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। अब कोई कार्यवाही शेष न रहने से पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सांख्यिकी दृष्टि से पत्रावली आज सी.आई.एस. में फैसल कर आदेश अपलोड किया जावे। आदेश आज दिनांक 14.03.2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया। सदस्य — अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत — राष्ट्रीय लोक अदालत	